# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला

## आदेश फलक

नामान्तरण अपील वाद संख्याः– 09/2020–21

श्री जयंत कुमार सांकी, पिता–स्व0 अमुल्य रतन सांकी.......................... अपीलकर्त्ता,

––––बनाम––––

श्रीमती दोला सिंह सोलांकी, पति–प्रताप सिंह सोलांकी एवं 02 अन्य..............विपक्षी

| क्रमांक / तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 3.11.2020<br>11.11.2020 | आवेदक श्री जयंत कुमार सांकी, पिता–स्व0 अमुल्य रतन सांकी, ग्राम–नरसिंहगढ़, थाना–धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम ने श्रीमती दोला सिंह सोलांकी, पति–प्रताप सिंह सोलांकी, (2) श्री हर प्रसाद सोलांकी उर्फ हर प्रसाद सिंह सोलांकी, पिता–स्व0 कुंज बिहारी सांकी, दोनों ग्राम–नरसिंहगढ़, थाना–धालभूमगढ़ एवं (3) अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ (झारखण्ड सरकार) को पक्षकार बनाकर नामान्तरण मुकदमा संख्याः–44 / R27/2020-21, दिनांक–18.08.2020 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।<br><br>अपील आवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर दाखिल नहीं होने के कारण Condonnation Petition U/s-5 of limitation Act. के अन्तर्गत समर्पित की गयी है। वाद की प्रवृष्ठि के लिए सुनवाई हेतु दिनांक–...10.../...12... /...2020... को तिथि निर्धारित की जाती है। तदनुसार आवेदनकर्त्ता को नोटिस निर्गत करें।<br><br>अभिलेख दिनांक– 10 / 12 / 2020 को रखें।<br><br>लेखपित एवं संशोधित<br>11/11/20<br><br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला ।<br><br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला। | दिनांक 11-11-20 को नोटिस निर्गत किया गया एवं पत्रांक 388 द्वारा अभिलेख मांगा गया |
| 10-12-20 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। इस कार्यालय के पत्रांक 387/रा० दिनांक 11.11.20 के द्वारा अंचल अधिकारी धालभूमगढ़ से मांगा गया नामान्तरण वाद संख्या 44/R-27/20-21 का मूल अभिलेख अंचल अधिकारी धालभूमगढ़ के पत्रांक 724 दिनांक 7-12-20 के द्वारा प्रेषित | |

10-12-2020. मूल अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसे अभिलेख-बद्ध किया गया। सुनवाई हेतु वादी-प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति अथवा पैरवी नहीं की गई है।

अतः उभय पक्ष को एक मौका देते हुए आपील वाद में अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक-29-1-2021 को तिथि निर्धारित किया जाता है।

लेखापित

श्रुति कुमार
न्यायिक

29-01-21 अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया गया है कि मामले में दोनो पक्षों के बीच आपसी विवाद को सुलझा लिया गया है। अतः वाद की अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.03.20 14:01:53 +05:30
Location: 192.168.1.33